निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **FR-99** वर्ष **2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वना धकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के माह 04/2015 से माह 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 18.10.2017 से 02.11.2017 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार ले.प. श्री सलीम खान(व.ले.प.) रामप्रीत सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 23.04.2015 से 05.05.2015 तक श्री राकेश कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 04/2013 से 03/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र: -

(ii) (अ) **राजस्व का विवरण:** विगत वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	441.36
2015-16	257.96
2016-17	99.62

(ii) (ब) बजट का विवरण

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आयोजनेत्तर				आयोजनागत			
	आवंटन		व्यय		आवंटन		व्यय	
	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
2015-16	0.00	688.25	0.00	688.25	423.21	72.73	423.21	72.73
2016-17	0.00	732.70	0.00	732.70	84.68	102.95	84.68	102.95
2017-18 (September 2017)	0.00	620.35	0.00	394.27	0.00	36.22	0.00	19.91

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय
2015-16		शून्य		
2016-17				

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- मुख्य वन संरक्षक(मुख्यालय)- वन संरक्षक (संबं धत क्षेत्र)- प्रभागीय वना धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्रभागीय वना धकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वना धकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया ।

व्यय की जांच हेतु 02/2016, 03/2016, 06/2016, 03/2017, 05/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ----------

का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .....------ ....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 रॉयल्टी की गणना कम कए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति `5.99 लाख।

मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्र संख्या-65/8-2(25) दिनांक 29 जुलाई 2016 के द्वारा वर्ष-2015-16 हेतु रॉयल्टी का निर्धारण कया गया था जिसके अनुसार चीड़ की रॉयल्टी दर गढ़वाल/भागीरथी/ यमुना एवं शवा लक वृत्त में `3238 तथा अखरोट की `20028/- निर्धारित की गयी थी।

प्रभागीय वना धकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क वर्ष 2015-16 की लाट आवंटन पंजिका में उत्तराखण्ड वन वकास निगम को टिम्बर की 50 लाट आवंटित की गयी थी जिसके द्वारा व भन्न प्रजाति की 2267.092 घनमीटर लकड़ी की निकासी की जानी थी। उत्तराखण्ड वन वकास निगम द्वारा उक्त लॉट हेतु रॉयल्टी की गणना `1,01,48,829/- की गयी थी। उक्त रायल्टी की गणना पूर्व निर्धारित दर से की गयी थी। मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्र संख्या -65 दिनांक 29 जुलाई 2016 के द्वारा वर्ष 2015-16 में रॉयल्टी की गणना पुनः नये दर से की गयी थी। इसकी पुनः गणना करते समय निकासी की गयी टिम्बर का आयतन 2314.2911 घनमीटर का करते हुए लाट संख्या 34/2015-16 तथा 38/2015-16 में वन प्रजाति को चीड़ के स्थान पर चीड़ सूखा दर्शाते हुए रॉयल्टी की धनरा श `98,03,155/- आंक लत की गयी थी। जब क लेखापरीक्षा द्वारा पुनः गणना करने पर रॉयल्टी की धनरा श ` 1,04,01,847/- निर्धारित की गयी।(सूची संलग्न)

इस प्रकार ` 5,98,692/- कम रॉयल्टी वभाग द्वारा वसूला गया। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर अपने उत्तर में बताया गया क नियमानुसार रॉयल्टी की गणना की गई है। वभाग का उत्तर मान्य नहीं था। क्यों क रॉयल्टी दर चीड़ के स्थान पर चीड़ सूखा का निर्धारित कया गया था।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर द्ववारा वर्ष 2015-16 में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित लॉटों हेतु रॉयल्टी की पुनः गणना शीट

क्रम सं.	**लाट संख्या**	**प्रजाति**	**आयतन रॉयल्टी दर (प्रति घन मीटर)**	**रॉयल्टी की धनराशि (`)**	**विभाग द्वारा आंकलित रॉयल्टी की धनराशि(`)**	**विभाग द्वरा कम आंकलित रॉयल्टी की धनराशि(`)**
1	01/2015-16	चीड़ उखडे टूटे	36.391x3238	117834/-	88376/-	29458/-
2	02/2015-16	चीड़ उखडे टूटे	18.2690x3238	59155/-	44366/-	14789/-
3	30/2015-16	अखरोट	1.47x20028	29441/-	6958/-	22483/-
4	42/2015-16	अखरोट	4.38x20028	87723/-	20731/-	66992/-
5	33/2015-16	चीड़ उखडे टूटे	66.6325x3238	215756/-	161817/-	43939/-
6	34/2015-16	चीड़	315.8150x3238	1022609/-	766957/-	255652/-
7	38/2015-16	चीड़ दो खड़े	204.297x3238	661514/-	496135/-	165379/-
					योग	**598692**/-

भाग-2(ब)

प्रस्तर 02- 2.399 हेक्टेयर वन भू म पर लीज धारकों द्वारा अवैध कब्जा/ अतिक्रमण कया जाना।

वन संरक्षण अ धनियम 1980 लागू होने से पूर्व वभाग द्वारा व भन्न प्रयोजनों हेतु आर क्षत वन भू म स्थाई/ दीर्घकालीन एवं अस्थाई अल्पकालीन लीजें स्वीकृत करने का प्रावधान था। प्रभागीय वना धकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा अस्थाई अल्पकालीन लीजें स्थानीय स्तर पर पारिस्थिकी एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत कया गया था। उक्त अ धनियम में लीज धारकों को शुल्क एवं निःशुल्क भू म देने का प्रावधान था। लीज धारकों से न्यूनतम ` 2.00 एवं अ धकतम ` 12.00 प्रति वर्ष की दर से शुल्क वसूल की जानी थी।

प्रभागीय वना धकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की नमूना लेखा-परीक्षा में लीज से संबं धत अ भलेखों की जाँच में पाया गया क प्रभाग द्वारा कुल 220 वभागों/ एजें सयों ग्रामवा सयों को वन भू म लीज पर दी गयी थी। लेखापरीक्षा अव ध तक 120 लीज धारकों की लीज वैधता समाप्त हो गई थी। जिनमें से 31 लीज धारकों की लीज निरस्त की जा चुकी थी एवं 89 लीजों को न तो निरस्त कया गया था और न ही उनका नवीनीकरण कया गया था। जिसके कारण 2.399 हेक्टेयर वन भू म पर लीज धारकों का अवैध कब्जा बना हुआ था। साथ ही 89 लीज धारकों से नियमानुसार शुल्क भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क कार्यवाही की जा रही है कार्यवाही पूर्ण कर महालेखाकार को अवगत कराया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ख)

प्रस्तर-03- लेखापरी क्षत इकाई की कार्ययोजना के अभाव में ` 21 करोड़ के राजस्व की क्षति।

कार्यालय उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वना धकारी केदारनाथ वन जीव प्रभाग, गोपेश्वर (चमोली) की अ भलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया क वर्ष 2015-16 व 2016-17 में इकाई के लये वन राजस्व का लक्ष्य क्रमशः ` 1106.03 लाख व ` 1351.62 का निर्धारित कया गया था।

पुनः कार्यालय के वर्ष 2015-16 व 2016-17 से संबं धत वा र्षक प्रशासनिक प्रगति ववरण की लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया क कार्यालय के कार्ययोजना **(Action Plan)** के अभाव में कार्यालय द्वारा उपरोक्त लक्ष्य प्राप्ति के वरूध वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 में कुल केवल ` 357.58 लाख का ही राजस्व प्राप्त कया जा सका। इस प्रकार वर्ष 2015-2017 के मध्य वभाग को कुल ` 2100.07 लाख के राजस्व क्षति कार्य योजना के अभाव में उठानी पडी थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर ईकाई द्वारा बताया गया क कार्य योजना की तैयारी प्रगति पर है।

प्रकरण उच्चा धकारियों/ वभाग के संज्ञान में लाया गया।

भाग-III

राजस्व से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

व्यय से संबंधत: वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

(2) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वना धकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	सुश्री नीतू लक्ष्मी	उप वन संरक्षक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्रभागीय वना धकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी